

## अध्याय-॥

बिक्री, व्यापार आदि पर कर



## अध्याय-11: बिक्री, व्यापार आदि पर कर

### 2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

2016-17 के दौरान, लेखापरीक्षा ने वाणिज्यकर विभाग की 44 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 27<sup>1</sup> इकाईयों (61 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जांच की। विभाग ने 2015-16 के दौरान ₹ 8,998.95 करोड़ राजस्व संग्रहित किया जिसमें से लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 8,829.90 करोड़ (98 प्रतिशत) संग्रहित किये। लेखापरीक्षा ने 750 मामलों में ₹ 1,780.30 करोड़ की अनियमितताओं की पहचान की (जिसमें 67 मामलों में ₹ 452.77 करोड़ की अनियमिततायें तीन वाणिज्यकर अंचलों<sup>2</sup> से संबंधित हैं) जैसा कि तालिका-2.1 में वर्णित है।

तालिका-2.1

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्तिग्रस्त की गयी राशि के प्रतिशत में हिस्सा
1	मूल्य वर्धित कर का कार्यान्वयन तथा माल एवं सेवा कर के लिए विभाग की तैयारी	1	1,020.95	57.35
2	आवर्त के छिपाव के कारण कर का अनारोपण/ अल्पारोपण	239	258.30	14.51
3	ब्याज का अनारोपण/ अल्पारोपण	189	68.30	3.83
4	आवर्त के गलत निर्धारण के कारण कर का अल्पारोपण	53	146.65	8.24
5	कर से छूट की अनियमित अनुमति	72	33.43	1.88
6	इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित/ गलत अनुमति	72	12.51	0.70
7	कर के गलत दर का अनुप्रयोग	51	127.06	7.14
8	अन्य मामले	73	113.10	6.35
कुल		750	1,780.30	

विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित, 120 मामलों में ₹ 1,096.27 करोड़ का अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, तथा 14 मामलों में ₹ 17 लाख की राशि वसूल की।

इस अध्याय में ₹ 1,020.95 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के "मूल्य वर्धित कर का कार्यान्वयन तथा माल एवं सेवा कर (मा.एवं से.क.) के लिए विभाग की तैयारी" पर एक

<sup>1</sup> वाणिज्यकर उपायुक्त/ वाणिज्यकर सहायक आयुक्त के कार्यालयों, आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम एवं तेनुघाट और आयुक्त, वाणिज्यकर, राँची।

<sup>2</sup> वाणिज्यकर उपायुक्त के कार्यालय, आदित्यपुर, जमशेदपुर और रामगढ़।

लेखापरीक्षा सहित ₹ 1,105 करोड़ रुपये के 113 मामलों पर चर्चा की गयी है। सदृश मामलें पिछले पाँच वर्षों के दौरान बारम्बार सूचित किये जाने के बावजूद, इन में से कुछ अनियमिततायें निरंतर जारी रहीं, जैसा कि तालिका-2.2 में वर्णित है।

तालिका-2.2

(₹ करोड़ में)

अवलोकन की प्रकृति	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		कुल	
	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि
व्यवसायियों का निबंधन नहीं होना	-	-	21	1.13	21	12.57	70	4.84	277	37.65	389	56.19
क्रय/विक्रय आवर्त का छिपाव	22	72.64	28	245.11	44	222.28	69	169.03	18	284.10	181	993.16
सकल आवर्त का गलत निर्धारण	1	0.19	6	13.51	9	30.95	24	11.43	18	10.22	58	66.30
छूट की गलत अनुमति	1	0.06	1	0.59	74	30.00	33	44.72	14	11.57	123	86.94
इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति	6	1.04	5	27.71	16	2.35	28	6.05	11	4.47	66	41.62
कर के गलत दर का अनुप्रयोग	19	24.17	5	1.11	51	37.76	22	6.96	22	15.44	119	85.44
क्रय कर का अनारोपण	-	-	-	-	-	-	2	0.96	2	0.44	4	1.40
कर के अधिक संग्रह पर अर्थदंड का अनारोपण	-	-	-	-	-	-	4	33.80	-	-	4	33.80
कर के गणना में त्रुटि	3	2.71	2	0.06	8	0.53	3	0.62	-	-	16	3.92
अस्वीकृत छूटों/ रियायतों पर ब्याज का अनारोपण	-	-	13	5.64	46	60.02	52	72.58	19	119.92	130	258.16
तिर्यक जाँच के परिणाम	-	-	6	11.72	175	257.87	33	47.28	131	1,173.11	345	1,489.98

अनियमितताओं की दोहराव वाली प्रकृति यह स्पष्ट करती है कि राज्य सरकार और वाणिज्यकर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष प्रति वर्ष जारी निरंतर घटित अनियमितताओं को दूर करने के लिये कोई उपाय नहीं किया है।

#### अनुशंसा :

राज्य सरकार अनियमितताओं के रोक-थाम के उपाय शुरू कर सकती है ताकि वर्ष प्रति वर्ष इनकी पुनरावृत्ति ना हो।

## 2.2 मूल्य वर्धित कर का कार्यान्वयन तथा माल एवं सेवा कर के लिये विभाग की तैयारी

### 2.2.1 परिचय

झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड वित्त अधिनियम 2001 को निरस्त कर दिया एवं 1 अप्रैल 2006 से प्रभावी झारखण्ड मूल्य वर्धित कर (झा.मू.व.क), अधिनियम को अधिनियमित किया। मूल्य वर्धित कर प्रणाली पूर्व खरीद पर चुकाये गये कर का प्रतिदावा करने के प्रावधानों के साथ एक गंतव्य/ खपत आधारित कर है तथा यह बिक्री कर संरचना में दोहरे कराधान, करों के बहुतायत, अधिभार, अतिरिक्त बिक्री कर इत्यादि की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करता है, जिस पर व्यापक कर-बोझ था। झा.मू.व.क अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं को 'मूल्य वर्धित कर योग्य' एवं 'गैर-मूल्य वर्धित कर योग्य' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 'मूल्य वर्धित कर योग्य' वस्तुओं का उल्लेख अनुसूची II (भाग-ए, बी, सी, डी, एवं एफ) में किया गया है और ये विभिन्न दरों पर कर योग्य हैं। गैर-मूल्य वर्धित कर योग्य वस्तुएं, अधिनियम के अनुसूची II (भाग-ई) में उल्लिखित हैं।

झारखण्ड माल एवं सेवा कर, (झा.मा. एवं से.क.) अधिनियम, झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 को निरस्त करने के उपरांत, 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया। यह भी मालों एवं सेवाओं पर लगने वाला कर है, जिसमें प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन के साथ उत्पादक/ सेवा प्रदाता के बिंदु से खुदरा विक्रेता के स्तर पर प्रतिदावा (सेट-ऑफ) तंत्र की व्यापक और निरंतर श्रृंखला होती है, जहाँ कर केवल अंतिम उपभोक्ता वहन करता है। माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के तहत, एक राज्य के लिये आधार वर्ष राजस्व, राज्य द्वारा लगाये गये उन करों के संबंध में जो माल एवं सेवा कर में सम्मिलित हैं, राज्य द्वारा आरोपित किये गये प्रतिदाय शुद्ध करों के कारण, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा संग्रहित राजस्व का योग होगा। इस अधिनियम के तहत किसी भी राज्य को क्षतिपूर्ति परिवर्तनकाल अवधि के दौरान देय होगा।

### 2.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

मूल्यवर्धित कर (मू.व.क.) और केन्द्रीय बिक्री कर का आरोपण और संग्रहण झारखण्ड मूल्यवर्धित कर (झा.मू.व.क.) अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा शासित होते हैं। वाणिज्यकर के सचिव-सह-आयुक्त (वा.क.आ.), वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.) में इन अधिनियमों और नियमों के प्रशासन के लिये उत्तरदायी हैं और उन्हें वाणिज्यकर के अपर आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यकर (वा.क.सं.आ.), अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.), निगरानी एवं अनुश्रवण के संयुक्त आयुक्त वाणिज्यकर के साथ अन्य उप/ सहायक आयुक्तों का सहयोग प्राप्त होता है।

राज्य पाँच वाणिज्यकर प्रमंडलों<sup>3</sup> एवं 28 अंचलों<sup>4</sup> में विभाजित है, जिनमें प्रत्येक के प्रभारी संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) होते हैं प्रत्येक अंचल के प्रभारी वाणिज्यकर उपायुक्त/सहायक आयुक्त (वा.क.उ./ वा.क.स.आ.) होते हैं। अंचल के वा.क.उ./ वा.क.स.आ. जिन्हें वाणिज्यकर पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है, सरकार को देय कर का आरोपण और संग्रहण के अलावे सर्वेक्षण के लिये भी उत्तरदायी हैं। वा.क.सं.आ. (प्रशासन) को सहयोग करने के लिये प्रत्येक प्रमंडल में अ.ब्यू. के एक उपायुक्त पदस्थापित होते हैं तथा मुख्यालय के नियंत्रण में प्रत्येक प्रमंडल में एक वा.क.उ. (निगरानी एवं अनुश्रवण) पदस्थापित होते हैं।

माल एवं सेवा कर (मा. एवं से.क.) शासन के तहत संगठनात्मक ढाँचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल पदनाम में वाणिज्यकर से राज्य कर का परिवर्तन किया गया है।

### 2.2.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह मूल्यांकित एवं सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ संचालित किया गया कि:

- झा.मू.व.क. अधिनियम के प्रावधान और उसके अधीन बनायी गयी नियमावलियाँ राज्य के राजस्व की सुरक्षा के अनुकूल हैं;
- मूल्य वर्धित योजना के कार्यान्वयन में मू.व.क. में मूल्यांकन, आरोपण एवं संग्रहण की शुद्धता सुनिश्चित करने के प्रणाली और प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता;
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली राजस्व के रिसाव को रोकने के लिये पर्याप्त तथा प्रभावशील है; और
- मा. एवं से.क. के लिये राज्य की तैयारी।

### 2.2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

- झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006;
- समय-समय पर वा.क.आ. द्वारा जारी निर्देश/ अधिसूचनायें; और
- वा.क.आ. कार्यालय में मा. एवं से.क. और माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) से संबंधित दस्तावेज़

<sup>3</sup> धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, राँची और संथाल परगना।

<sup>4</sup> आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

## 2.2.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं आच्छादन

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान किये गये कर निर्धारण/ विवरणियों/ अभिलेखों की जाँच, की लेखापरीक्षा, नवम्बर 2016 और जुलाई 2017 के मध्य संचालित की गयी थी। 28 अंचलों में से 15 वाणिज्यकर अंचलों<sup>5</sup>, जिसमें राज्य के कुल राजस्व का 85.94 प्रतिशत शामिल है, का चयन, वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान सृजित किये गये राजस्व के आधार पर, प्रत्येक अंचल का उच्च<sup>6</sup>, मध्यम<sup>7</sup> और न्यून<sup>8</sup> जोखिम में वर्गीकृत कर यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया। इसके अलावा, अन्य वाणिज्यकर अंचलों में पाये गये सदृश अवलोकनों को भी सम्मिलित किया गया है।

## 2.2.6 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

- प्रवेश तथा बहिर्गमन सम्मलेन प्रधान सचिव-सह-आयुक्त, वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड के साथ क्रमशः 29 मार्च एवं 26 सितम्बर 2017 को आयोजित किये गये जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली, परिणामों, निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर विस्तार से चर्चा की गयी। सरकार/ विभाग के प्रतिक्रिया को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।
- झा.मू.व.क. अधिनियम/ नियमावली के तहत अनुपालन की पुष्टि के लिए वाणिज्यकर अंचलों में संधारित आवर्त/ कर भुगतान के आधार पर, प्रत्येक अंचल से चयनित कर निर्धारित 200 शीर्ष अभिलेखों की जाँच की गयी।
- आवधिक विवरणियाँ, फार्म झा.मू.व.क.-409 में मू.व.क का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 'सी' और 'एफ' घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता प्रमाण पत्र, झा.मू.व.क.-'504 जी' एवं '504 बी' में रोड परमिटों की उपयोगिता, इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु प्रपत्र, झा.मू.व.क.-404 में घोषणा, राज्यांतर्गत शाखा स्थानांतरण हेतु झा.मू.व.क.-506, स्रोत पर कर की कटौती हेतु झा.मू.व.क.-400 की जाँच की गयी।
- मू.व.क. के आरोपण एवं संग्रहण में अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.) की भूमिका का विश्लेषण।
- निम्नलिखित विभागों/ कार्यालयों से संग्रहित आँकड़ों का तिर्यक जाँच वा.क.वि. के अभिलेखों से की गयी।

<sup>5</sup> आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, धनबाद, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी, सिंहभूम और तेनुघाट।

<sup>6</sup> ₹ 2000 करोड़ और उससे अधिक।

<sup>7</sup> ₹ 400 करोड़ और ₹ 2000 करोड़ के मध्य।

<sup>8</sup> ₹ 400 करोड़ से नीचे।

क्र. सं.	विभाग का नाम	तिर्यक जाँच के लिये प्राप्त किये गये आँकड़े/सूचनार्ये
1	प्रणाली निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, नई दिल्ली	देश के बाहर से झारखण्ड के व्यवसायियों द्वारा आयातित सामानों का सी.आई.एफ <sup>9</sup> मूल्य।
2	महानिदेशक, केंद्रीय उत्पाद अन्वेषण, जमशेदपुर	छापे के दौरान पाए गये निर्माताओं को छिपाये गये केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिये जारी की गयी मांग पत्र।
3	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 'खाने के लिये तैयार' पूरक खाद्य पदार्थों की आँगनबाड़ियों को आपूर्ति के लिये प्राप्त राशि।
4	केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर विभाग	बोकारो आयुक्तालय में दाखिल प्रपत्र सेवा कर से.क.-3 में अर्धवार्षिकी सेवा कर विवरणी एवं प्रपत्र उत्पाद विवरणी उ.वि.-4 में वार्षिक वित्तीय विवरणी।

## 2.2.7 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचनार्ये और अभिलेखों को उपलब्ध कराने में सहयोग के लिये वाणिज्यकर विभाग का आभार प्रकट किया जाता है।

## 2.2.8 मानव संसाधन

जून 2017 को वा.क.वि. के अधिकारियों और अन्य सहायक कर्मचारियों की कुल स्थिति तालिका-2.3 में वर्णित है।

तालिका-2.3

पद की प्रकृति	स्वीकृत बल <sup>10</sup> (स्वी.ब.)	विभाग द्वारा निर्धारित अतिरिक्त बल <sup>11</sup>	अपेक्षित बल	कार्यरत बल	कमी (स्व.ब. के विरुद्ध)	अपेक्षित बल के विरुद्ध कमी
अधिकारी	387	135	522	223	164	299
कर्मचारी	966	464	1,430	435	531	995
<b>कुल</b>	<b>1,353</b>	<b>599</b>	<b>1,952</b>	<b>658</b>	<b>695</b>	<b>1,294</b>

अधिकारियों (42.37 प्रतिशत) और सहायक कर्मचारियों (54.97 प्रतिशत) की गंभीर कमी ने वा.क.वि. के क्रिया-कलाप को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2017 को संपन्न करने के लिये, 31,187 कर निर्धारण लंबित हुए। अधिकारियों

<sup>9</sup> लागत, बीमा और माल टुलाई प्रभार।

<sup>10</sup> मू.व.क., के.बि.क., प्रवेश कर, विद्युत शुल्क, विलासिता कर, मनोरंजन कर एवं पेशा कर अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिये।

<sup>11</sup> मा. एवं से. क./ विद्युत शुल्क एवं पेशा कर अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिये।

और कर्मचारियों की दीर्घकालिक कमी का उल्लेख पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी किया गया था।

वित्त विभाग ने मा.एवं से.क. के कार्यान्वयन, बेहतर कर प्रशासन, बकाया की वसूली और कर अपवंचना को रोकने के लिये अतिरिक्त 599 अधिकारियों और कर्मचारियों के वा.क.वि. के प्रस्ताव (अप्रैल 2017) को अनुमोदन/ स्वीकृति (जून 2017) प्रदान कर दी थी। यह प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति<sup>12</sup> के पास लंबित है (मार्च 2018)।

वा.क.वि. ने मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध 104 वाणिज्यकर पदाधिकारियों (वा.क.अ.) को नियुक्त करने की माँग (सितंबर 2016) झारखण्ड लोक सेवा आयोग (झा.लो.से.आ.) से की। वा.क.वि. ने पुनः 126 अवर श्रेणी लिपिकों (अ.श्रे.लि.) को नियुक्त करने की माँग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग (का.प्र.सु.एवं.रा.वि.) से की (जनवरी और जून 2017 के मध्य)। का.प्र.सु. एवं रा.वि. ने अ.श्रे.लि. के 52 पदों की नियुक्ति के लिये झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (झा.क.च.आ.) से मांग की (मार्च और जून 2017 के मध्य) तथा शेष 74 रिक्तियों को भरने के अनुरोध को, एक समय में मौजूदा रिक्तियों की एक तिहाई ही नियुक्ति के मानदंडों का हवाला देते हुये, वा.क.वि. को वापस कर दिया। यह मामला झा.लो.से.आ. एवं झा.क.च.आ. के पास लंबित है।

#### अनुशंसा :

1. प्रशासी पदवर्ग समिति, मा.एवं.से.क. की शुरुआत से किस सीमा तक वा.क.वि. के कार्य प्रभावित होंगे, की विधिवत जाँच करते हुए, अतिरिक्त 599 पदों के प्रस्ताव पर निर्णय में तेजी ला सकती है।
2. झा.लो.से.आ. एवं झा.क.च.आ. नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं।

### 2.2.9 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

वित्त (लेखापरीक्षा) विभाग (वि.ले.प.वि.) वा.क.वि. का आंतरिक लेखापरीक्षक है एवं इसे निर्धारण आदेशों, मांग पत्र जारी करने, एकत्रित कर की राशि और कोषागार में राशि जमा करने के सत्यापन की परस्पर जांच करते हुये, संपन्न किये गये सभी कर निर्धारणों का 100 प्रतिशत लेखापरीक्षा करना आवश्यक है (मई 1960 का आदेश)। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि, मुख्य रूप से वि.ले.प.वि. में लेखापरीक्षा कर्मचारियों की गंभीर कमी (137 रिक्तियों) के कारण, पिछले पाँच वर्षों में वा.क.वि. के किसी भी कार्यालय या अंचल में ना तो आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना बनायी गयी ना ही आयोजित की गयी। वि.ले.प.वि. ने विलंब से (नवंबर 2017), 110 वरीय लेखापरीक्षकों को नियुक्ति करने की माँग

<sup>12</sup> विभिन्न वर्गों की पदों के सृजन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, झारखण्ड की सदस्यता में अधिकृत समिति।

का.प्र.सु.एवं.रा.वि. से की, जो की झा.क.च.आ. के पास लंबित है (मार्च 2018)। आंतरिक लेखापरीक्षा करने में विफलता, अवनिर्धारण एवं कर के कम वसूली के माध्यम से वा.क.वि. के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, परिणामस्वरूप वा.क.वि. में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और दुरुपयोग के प्रकरणों की जांच में विफलता हो सकती है।

## 2.2.10 राजस्व की प्रवृत्ति

2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान, मू.व.क./ के.बि.क. के संबंध में, वाणिज्यकर विभाग के बजट अनुमानों (ब.अ.) और वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका-2.4 में दिया गया है:

तालिका-2.4

वर्ष	वा.क.वि. द्वारा प्रस्तावित ब.अ. (₹ करोड़ में)	वित्त विभाग द्वारा तय की गयी ब.अ. (₹ करोड़ में)	वास्तविक प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	कमी (-) (₹ करोड़ में)	बदलाव का प्रतिशत
2012-13	6,650.00	6,650.00	6,421.61	(-) 228.39	(-) 3.43
2013-14	7,762.00	7,874.50	7,305.08	(-) 569.42	(-) 7.23
2014-15	8,753.00	9,267.95	8,069.72	(-) 1,198.23	(-) 12.93
2015-16	9,674.00	11,180.02	8,998.95	(-) 2,181.07	(-) 19.51
2016-17	11,647.00	12,702.99	10,549.25	(-) 2,153.74	(-) 16.95

स्रोत: झारखण्ड सरकार के राजस्व एवं प्राप्तियों के विवरण के अनुसार वित्त लेखे एवं संशोधित अनुमान

लेखापरीक्षा ने वा.क.वि. द्वारा प्रस्तावित एवं वित्त विभाग द्वारा तय किये गये ब.अ. के बीच अंतरों का उल्लेख किया, और पाया कि वा.क.वि. के अनुमान वित्त विभाग के अनुमानों की तुलना में अधिक सटीक हैं। बिहार वित्त नियमावली, खण्ड-1 (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) यह निर्धारित करता है कि वित्त विभाग, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त इनपुट, जिसकी शुद्धता के लिये प्रशासनिक विभाग जिम्मेदार हैं, के आधार पर राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमान (ब.अ.) तैयार करने के लिये जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षा द्वारा वा.क.वि. एवं वित्त विभाग के ब.अ. तैयारी की संचिकाओं की जाँच से यह उद्घटित हुआ कि जब वा.क.वि. ने वित्त नियमों में निहित प्रक्रिया के अनुसार अनुमान तैयार किये, वित्त विभाग ने वा.क.वि. के अनुमानों से भिन्न होने का फैसला जिस आधार पर लिया, वह अभिलेखित नहीं था।

वा.क.वि. ने (नवंबर 2017) 2014-15 से 2016-17 की अवधि के लिये कमी हेतु लोहा और इस्पात, लौह अयस्क, कोयला, मोटर पार्ट्स में ऋणात्मक वृद्धि दर तथा पेट्रोलियम उत्पादों, तंबाकू, कोयला, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं एवं दवाईओं में निम्न वृद्धि दर के साथ-साथ प्रवेश कर, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत घोषित किया गया था, के तहत राजस्व का संग्रह नहीं होने को जिम्मेदार ठहराया; 2012-13 और 2013-14 में कमी के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने अभिलेखों की जाँच से यह

पाया कि 2014-15 और 2015-16 में आयी कमी में चीनी, कपड़ा और अनाज इत्यादि पर करों के आरोपण जैसे अतिरिक्त संसाधन उपायों के कार्यान्वयन नहीं होने का भी योगदान रहा।

### अनुशंसा :

1. वित्त विभाग अधिक यथार्थवादी अनुमान तैयार कर सकती है, एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुमानों से भिन्न होने के फैसले के कारणों को संचिका पर अंकित कर सकती है।
2. वित्त विभाग नये व्यवसायियों को कर क्षेत्र में लाकर, कर आधार को बढ़ाने सहित अतिरिक्त संसाधन उपायों की व्यवहार्यता की जांच कर सकता है।

### 2.2.11 संग्रहण की लागत

राज्य द्वारा बिक्री, व्यापार आदि पर कर से सकल संग्रहण का विवरण एवं राज्य द्वारा 2012-13 से 2016-17 के दौरान, पड़ोसी राज्यों की तुलना में, संग्रहण की लागत तालिका-2.5 में दिया गया है।

तालिका-2.5

वर्ष	संग्रहण (₹ करोड़ में)	राजस्व के संग्रहण पर व्यय (₹ करोड़ में)	संग्रह पर व्ययका प्रतिशत				पिछले वर्ष का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
			झारखण्ड	बिहार	छत्तीसगढ़	ओडिशा	
2012-13	6,421.61	36.50	0.57	0.70	0.54	0.67	0.83
2013-14	7,305.08	47.29	0.65	0.53	0.47	0.73	0.73
2014-15	8,069.72	47.29	0.59	0.70	0.58	0.70	0.88
2015-16	8,998.95	47.39	0.53	0.57	0.57	0.65	0.91
2016-17	10,549.25	49.20	0.47	0.64	0.57	0.75	0.66

स्रोत: झारखण्ड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सरकार के वित्त लेखे

पड़ोसी राज्यों और अखिल भारतीय औसत की तुलना में वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिये कर संग्रहण की क्षमता झारखण्ड में सबसे ज्यादा है।

### 2.2.12 राजस्व के बकाये

2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान, राजस्व के बकाये में 169 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई, जबकि वसूलियाँ स्थिर हो गयी। इस प्रतिकूल परिस्थिति के लिये वा.क.वि में 42 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं लगभग 55 प्रतिशत सहायक कर्मचारियों की गंभीर कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। राजस्व के बकाये का विवरण तालिका-2.6 में वर्णित है।

तालिका-2.6

(₹ करोड़ में)

अवधि	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़	कुल	वर्ष के दौरान वसूलियां	अंतिम शेष	वसूली का प्रतिशत
2012-13	1,250.72	268.58	1,519.30	402.07	1,117.23	26.46
2013-14	1,117.23	348.41	1,465.64	376.45	1,089.19	25.69
2014-15	1,089.19	589.80	1,678.99	315.99	1,363.00	18.82
2015-16	1,363.00	1,359.27	2,722.27	337.86	2,384.41	12.41
2016-17	2,384.41	1,383.13	3,767.54	406.13	3,361.41 <sup>13</sup>	10.78

स्रोत: वाणिज्यकर विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना

विभाग द्वारा सूचित किये गये, 31 मार्च 2017 को राजस्व के बकाया का चरणवार विवरण तालिका-2.7 में दिये गये हैं।

तालिका-2.7

क्र. सं.	कार्रवाई के चरण	राशि (₹ करोड़ में)
1.	नीलाम वसूली के अन्तर्गत माँग	292.97
2.	उच्च न्यायालयों एवं अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा रोकी गयी वसूलियां	916.06
3.	सरकार के स्तर पर रोकी गयी वसूलियां	615.35
4.	आवेदनों के सुधार/ समीक्षा के कारण रोकी गयी वसूलियां	70.44
5.	व्यवसायी/ पार्टी के दिवालिया होने के कारण रोकी गयी वसूलियां	16.44
6.	संभावित रूप से बढ़े खाते में डाले जाने वाली राशि	41.90
7.	अन्य मामलें	2,201.54 <sup>14</sup>
<b>कुल</b>		<b>4,154.70</b>

वा.क.वि. ने, 23 सितंबर 2015 की अधिसूचना के द्वारा प्रभावी तिथि 23 सितंबर 2015 संशोधित किये जाने के आलोक में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा, 01 अप्रैल 2015 से प्रभावी, धारा 18 (4) (iii) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की अस्वीकृति को बकाया राशि जमा होने का जिम्मेदार ठहराया (सितंबर 2017)।

<sup>13</sup> जैसा कि वाणिज्यकर विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया, 31 मार्च 2017 को वर्ष 2016-17 के लिये अंतिम शेष के आकड़ों एवं राजस्व के कुल बकाये (₹ 4,154.70 करोड़) में ₹ 793.29 करोड़ का अंतर है।

<sup>14</sup> अन्य मामलों में शामिल ₹ 2,201.54 करोड़ रुपये में से; कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	व्यवसायी का नाम(सर्वश्री)/ टिन	अवधि	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
1.	अभिजीत प्रोजेक्ट लि./ 20720306092	2010-11 से 2012-13	758.86	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर) के पास लंबित
2.	मोंटे कार्लो लि./ 20370106410	2011-12	34.54	माँग पत्र जारी हो चुका है।
3.	एस्सार प्रोजेक्ट क. लि./ 20820206683	2010-11 से 2012-13	17.73	वसूली सुनवाई हेतु प्रक्रियाधीन।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, वा.क.वि. ने राजस्व के बकाये के लिये दो अलग-अलग आँकड़े प्रस्तुत किये (₹ 3,361.41 करोड़ और ₹ 4,154.70 करोड़)। अंतर का मिलान नहीं किया गया। तदन्तर, लेखापरीक्षा ने तीन वाणिज्यकर अंचलों<sup>15</sup> में, अन्य मामलों में शामिल ₹ 2,201.54 करोड़ में से ₹ 919.71 करोड़ के राजस्व के बकाये की नमूना जांच की, और देखा कि राजस्व के बकाये का संचयीकरण, 2006-07 से 2013-14 की अवधि के लिये, अर्थात् इनपुट टैक्स क्रेडिट की अस्वीकृति के संबंध में उपर्युक्त अधिसूचना जारी करने की अवधि से पूर्व, विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर, लंबित मामलों के कारण था। यह इंगित करता है कि विभाग उन बकाये राशि, जिनकी वसूली न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा नहीं रोकी गयी है, के प्राप्ति का प्रभावी रूप से निगरानी नहीं करता है।

### 2.2.13 कर निर्धारण में बकाये

अधिकारियों और कर्मचारियों की गंभीर कमी ने कर निर्धारण में बकाये की भी वृद्धि की, जैसा की तालिका-2.8 में वर्णित है।

तालिका-2.8

वर्ष	प्रारंभिक शेष	कर निर्धारण के लिये बकाये नये मामलें	कुल बकाया कर निर्धारण	वर्ष के दौरान निर्धारित किये गये मामलें	वर्ष के अंत में शेष	कॉलम 6 से 4 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
2012-13	31,244	58,087	89,331	53,385	35,946	40.24
2013-14	33,505	63,903	97,408	63,519	33,889	34.79
2014-15	37,983	68,303	1,06,286	65,464	40,822	38.41
2015-16	39,652	72,761	1,12,413	64,999	47,414	42.18
2016-17	33,051 <sup>16</sup>	69,075	1,02,126	70,939	31,187	30.54

स्रोत: वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड सरकार

वा.क.वि. ने कहा (सितंबर 2017) कि 04 नवंबर 2016 की अधिसूचना के अनुसार, वैसे व्यवसायियों के कर निर्धारण मामलें जिनका सकल आवर्त ₹ दो करोड़ तक है, कर-निर्धारित समझे जायेंगे। कर निर्धारण शीघ्र संपन्न करने के लिये उच्च सकल आवर्त के मामलों को अलग करने के प्रयास किये जाएंगे। तथापि, विभाग ने ₹ दो करोड़ से अधिक सकल आवर्त वाले मामलों का कर निर्धारण करने के लिये कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है।

<sup>15</sup> राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

<sup>16</sup> वा.क.वि. ने 31 मार्च 2016 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिये अंतिम शेष के रूप में 47,114 मामलों को पूर्व में प्रतिवेदित किया था।

## अनुशंसा :

वा.क.वि. मू.व.क. काल से संबंधित पारंपरिक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित कर सकती है ताकि लंबित कर निर्धारणों एवं बकाया राशि की वसूली कालातीत न हो जाय।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने झा.मू.व.क. के कार्यान्वयन की प्रणाली तथा माल एवं सेवा कर के लिये तैयारी का मूल्यांकन किया और देखा कि झा.मू.व.क. अधिनियम/ नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन में कमी के परिणामस्वरूप व्यवसायियों का निबंधन नहीं होना, आवर्त का छिपाव, सकल आवर्त का गलत निर्धारण, कर के गलत दर का अनुप्रयोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की गलत स्वीकृति और 432 मामलों में ₹ 1,104.65 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के साथ अस्वीकृत छूट/ रियायतों पर ब्याज का अनारोपण, जिसमें वा.क.वि. के अन्य अंचलों में अवलोकन किया गया। इन अनियमितताओं के मूल कारण कर निर्धारण संपन्न करने की प्रणाली में अंतर्निहित त्रुटियां थीं जिसका उपयोग कर निर्धारण पदाधिकारियों द्वारा असावधानीपूर्वक किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष, तंत्र की कमियाँ एवं सुधारात्मक उपाय निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गयी हैं।

### 2.2.14 व्यवसायियों का निबंधन

झा.मू.व.क. अधिनियम अंचल प्रभारियों को योग्य व्यवसायियों का कर निर्धारण करने के लिये व्यवसायियों के सर्वेक्षण करने एवं निर्धारित कर की समतुल्य राशि या ₹ 10,000 जो भी अधिक हो, का अर्थदंड लगाने का अधिकार देता है।

#### 2.2.14.1 अनिबंधित व्यवसायियों का सर्वेक्षण

2012-13 से 2016-17 के दौरान चयनित वाणिज्यकर अंचलों में व्यवसायियों के सर्वेक्षण तथा निबंधन के साथ अतिरिक्त राजस्व सृजित की स्थिति तालिका-2.9 में दी गयी है।

तालिका-2.9

अवधि	किये गये सर्वेक्षण की सं.	निबंधित व्यवसायियों की सं.	अतिरिक्त सृजित राजस्व (₹ लाख में)
2012-13	424	194	शुन्य
2013-14	997	335	शुन्य
2014-15	1,625	533	3.65
2015-16	727	187	205.77
2016-17	438	142	19.17
<b>कुल</b>	<b>4,211</b>	<b>1,391</b>	<b>228.59</b>

स्रोत: वाणिज्यकर विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़ा।

वर्ष 2012-13 और 2013-14 में किये गये 1,421 सर्वेक्षण एवं 529 व्यवसायियों के निबंधन पूरी तरह से निष्फल थे, जबकि 2014-15 में किये गये 1,625 सर्वेक्षण एवं 533

व्यवसायियों के निबंधन से केवल मामूली राजस्व की प्राप्ति हुई। ऐसे सर्वेक्षण अनावश्यक रूप से विभागीय संसाधनों की क्षति तथा झा.मू.व.क. अधिनियम, जो यह निर्धारित करता है कि केवल उन्हीं व्यवसायियों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये जो कर चुकाने के लिये उत्तरदायी हैं, का उल्लंघन करते हैं।

**अनुशंसा:**

वा.क.वि. यह सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त निर्देश जारी कर सकता है कि सर्वेक्षण कार्य झा.मू.व.क. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में हुये हैं।

### 2.2.14.2 कार्य संवेदकों/ व्यवसायियों का निबंधन नहीं होना

कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अंतर/ अंतरा-विभागीय आँकड़ों के आदान-प्रदान के तंत्र का कार्यान्वयन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप चार वाणिज्यकर अंचलों में 14 अनिबंधित कार्य व्यवसायियों/ संवेदकों पर अर्थदंड सहित ₹ 3.20 करोड़ का कर आरोपित नहीं किया जाना।

झा.मू.व.क. अधिनियम यह निर्धारित करता है कि व्यवसायियों/ संवेदकों जिनका आवर्त लगातार बारह महीनों की अवधि के दौरान ₹ 25,000 से अधिक है, निबंधित होने के लिये स्वयं उत्तरदायी हैं।

वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में व्यवसायियों द्वारा इन प्रावधानों के अनुपालन नहीं किये जाने पर प्रकाश डाला था तथा 389 व्यवसायियों पर ₹ 56.19 करोड़ के कर का आरोपण नहीं किया जाना इंगित किया था। फलस्वरूप, वा.क.वि. ने, कर निर्धारण प्राधिकारियों (क.नि.प्रा.) को कोषागारों, खानों तथा श्रम विभागों, बैंकों, इत्यादि, से आँकड़े एकत्र करने तथा इनका तिर्यक जाँच व्यवसायियों के अभिलेखों से करने का निर्देश दिया (मई 2015)। क.नि.प्रा. द्वारा की गयी कार्रवाई का मूल्यांकन करने के लिये लेखापरीक्षा ने चयनित अंचलों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि तीन वाणिज्यकर अंचलों में<sup>17</sup> वर्ष 2012-13 के दौरान तीन कार्य संवेदकों द्वारा नौ उप-संवेदकों को ₹ 5.11 करोड़ का भुगतान किया गया, हालांकि, जैसा कि वा.क.वि. के डाटाटाबेस से देखा गया, ये उप-संवेदक वा.क.वि. में निबंधित नहीं थे, यद्यपि उनका आवर्त विहित सीमा पार कर चुका था। इस प्रकार, वा.क.वि., अभिलेखों के तिर्यक जाँच करने के अपने आदेश को लागू करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में चयनित नमूने मामलों में, संवेदकों/ उप-संवेदकों पर अर्थदंड सहित ₹ 1.43 करोड़ का कर आरोपित नहीं किया गया।

<sup>17</sup> बोकारो, जमशेदपुर और राँची दक्षिणी।

इसी प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा जिला खनन कार्यालय, हजारीबाग के अभिलेखों को वाणिज्यकर अंचल, हजारीबाग के अभिलेखों से तिर्यक जाँच करने पर उद्घटित हुआ कि पाँच पट्टेदार जिन्होंने 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 6.33 करोड़ मूल्य के 2.43 लाख घनमीटर पत्थर चिप्स का प्रेषण/ बिक्री किया, वा.क.वि. में निबंधित नहीं थे, परिणामस्वरूप, अर्थदंड सहित ₹ 1.77 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ।

राज्य सरकार तथा वा.क.वि. का उत्तर (सितम्बर 2017) यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि संबंधित क.नि.प्रा. ने अभिलेखों के तिर्यक जाँच करने के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया।

**अनुशंसा:**

वा.क.वि. क.नि.प्रा. को वा.क.वि. के अभिलेखों में ही उपलब्ध स्रोत पर की गयी कर की कटौती (टी.डी.एस.) विवरणी<sup>18</sup> के जाँच सहित अभिलेखों के तिर्यक जाँच करने के अपने आदेश की पुनरावृत्ति कर सकता है।

### **2.2.15 अधिनियमों/ नियमों के प्रावधानों का पालन/ अनुपालन नहीं होना**

झा.मू.व.क. अधिनियम, क.नि.प्रा. द्वारा विवरणियों की शत प्रतिशत जांच निर्धारित करता है। लेखापरीक्षा द्वारा मूल्य वर्धित कर (मू.व.क.) के निर्धारण अभिलेखों की जाँच से, क.नि.प्रा. द्वारा विवरणियों की जाँच नहीं करने के कई मामलें उद्घटित हुये, परिणामस्वरूप 297 व्यवसायियों पर ₹ 625.98 करोड़ का कर आरोपित नहीं हुआ, जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है। तदन्तर, यह देखा गया कि प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा द्वारा नियमित रूप से सदृश अनियमितताओं को इंगित करने के बावजूद भी वा.क.वि. ने, क.नि.प्रा. द्वारा शत प्रतिशत जांच से, संबंधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू करवाने के लिये कोई कदम नहीं उठाये हैं।

<sup>18</sup> झा.मू.व.क. 400 में प्रमाण पत्र, किसी विशेष अवधि के दौरान कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिये संवेदक से अग्रिम कर की कटौती की पुष्टि करते हुए संवेदकों को जारी।

## कर का अवनिर्धारण

### 2.2.15.1 क्रय/विक्रय आवर्त का छिपाव

विभाग द्वारा कर निर्धारण संपन्न करने के लिये व्यापक जाँच सूची तैयार नहीं की गयी, जिसके कारण वास्तविक आवर्त का छिपाव हुआ एवं परिणामस्वरूप ₹ 405.37 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का अवनिर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम क.नि.प्रा. को व्यवसायियों द्वारा आवर्त को छिपाये जाने पर, निर्धारित कर की दुगुनी राशि (जुलाई 2014, से बढ़ाकर तिगुनी) के समतुल्य अर्थदंड आरोपित करने का अधिकार प्रदान करता है।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के क्रमिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा, क.नि.प्रा. के प्रभावी रूप से विवरणियों के जाँच नहीं करने की विफलता के कारण 181 व्यवसायियों पर ₹ 993.16 करोड़ के कर का अल्पारोपण प्रकाश में लाये जाने के फलस्वरूप वा.क.वि. ने क.नि.प्रा. को समान प्रकार के लेखापरीक्षा अवलोकनों की पुनरावृत्ति न हो, आगे, यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया (मई 2015)। मुख्य सचिव ने (जुलाई और सितंबर 2016) वा.क.वि. को व्यवसायियों द्वारा कर अपवंचना के कारणों को एवं इसे सुनिश्चित करने एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों को कम करने के लिये जाँच-सूची तैयार कर सभी अंचलों को जारी करने का निर्देश दिये। विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई का मूल्यांकन करने के लिये लेखापरीक्षा ने 15 वाणिज्यकर अंचलों<sup>19</sup> में निबंधित 54,791 व्यवसायियों में से 3,000 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की। यह देखा गया कि विभिन्न वस्तुओं<sup>20</sup> का व्यापार करने वाले 91 व्यवसायियों ने 2011-12 से 2014-15 की अवधि के लिये ₹ 17,075.99 करोड़ की सकल खरीद/ बिक्री अपने विवरणियों में दाखिल की। तथापि, विभाग के पास उपलब्ध दस्तावेजों से पता चला कि इन व्यवसायियों ने वास्तव में ₹ 18,247.02 करोड़ मूल्य के वस्तुओं का खरीद/ बिक्री किया था, जिसके फलस्वरूप ₹ 1,171.03 करोड़ के आवर्त के छिपाये जाने का पता नहीं चल पाया, परिणामस्वरूप अर्थदंड ₹ 245.84 करोड़ सहित ₹ 368.73 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। यह पाया गया कि विभाग द्वारा, मुख्य सचिव के आदेशानुसार, व्यापक जाँच सूची तैयार नहीं करने के कारण, क.नि.प्रा. कर निर्धारण करते समय (दिसंबर 2014 और नवंबर 2016 के मध्य), विवरणियों की जांच, वा.क.वि. के पास पहले से उपलब्ध अभिलेखों के संदर्भ में, करने में विफल रहे तथा केवल व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरणियों को स्वीकार करते रहे।

<sup>19</sup> आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, धनबाद, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी, सिंहभूम और तेनुघाट।

<sup>20</sup> आयुर्वेदिक औषधि, बिस्कुट, सीमेंट, रसायन, कोयला तथा कोक, कंप्यूटर तथा कंप्यूटर पार्ट्स इत्यादि।

सदृश अनियमिततायें अन्य नौ वाणिज्यकर अंचलों<sup>21</sup> में भी देखी गयी, जहाँ, 17 व्यवसायियों ने 2011-12 से 2013-14 (कर निर्धारण मार्च 2015 और जुलाई 2016 के मध्य) अवधि के लिये, वस्तुओं की क्रय/ विक्रय पर, ₹ 135.31 करोड़ का आवर्त छुपाया था, परिणामस्वरूप अर्थदंड ₹ 24.42 करोड़ सहित ₹ 36.64 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

वा.क.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017)।

#### अनुशंसा:

वा.क.वि. मुख्य सचिव के आदेशों का अनुपालन करते हुए झा.मू.व.क. तथा मा. एवं से.क. दोनों कालों में उपयुक्त, विवरणियों की जाँच के लिये व्यापक जाँच-सूची, तैयार कर सकता है एवं विवरणियों की जांच में क.नि.प्रा. द्वारा उनके उपयोग को लागू करवा सकता है।

### 2.2.15.2 सकल आवर्त का गलत निर्धारण

अभिलेखों की जांच के लिये मानदंडों के नियमन नहीं होने के फलस्वरूप क.नि.प्रा. द्वारा सकल आवर्त का गलत निर्धारण किया गया एवं परिणामस्वरूप ₹ 41.71 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम परिभाषित करता है कि सकल आवर्त (स.आ.) को किसी दी गयी अवधि के दौरान विक्रेता व्यवसायी द्वारा प्राप्त या प्राप्त कुल राशियों के योग के रूप में एवं क.नि.प्रा. द्वारा अभिलेख पर उपस्थित विवरणियों तथा दस्तावेजों के आधार पर सकल आवर्त का सही निर्धारण करता है।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में क.नि.प्रा. द्वारा इन प्रावधानों के अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप 58 व्यवसायियों पर ₹ 66.30 करोड़ के कर का अवनिर्धारण किये जाने पर प्रकाश डाला गया था। इसके परिणामस्वरूप, वा.क.वि. ने क.नि.प्रा. को लेखापरीक्षा द्वारा अपनाई गयी विधि को ध्यान में रखकर कर की अपवंचना रोकने के लिये निर्देशित (मई 2015) किया। तथापि, विभाग ने अभिलेखों की जांच के लिये मानदंड तैयार नहीं किये, जिसके परिणामस्वरूप अनियमिततायें जारी रही, जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है।

नौ वाणिज्यकर अंचलों<sup>22</sup> में निबंधित 25,944 व्यवसायियों में से 1,800 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला कि 2012-13 की अवधि के लिये 24 व्यवसायियों का सकल आवर्त ₹ 3,003.57 करोड़ निर्धारित (अप्रैल 2015 और जनवरी 2017 के मध्य) हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि क.नि.प्रा. ने अपनी जाँच

<sup>21</sup> चिरकुंडा, देवघर, गोड्डा, हजारीबाग, कतरास, कोडरमा, पाकुड़, राँची विशेष और साहिबगंज।

<sup>22</sup> आदित्यपुर, धनबाद, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, जमशेदपुर, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, सिंहभूम और तेनुघाट।

व्यवसायियों द्वारा दाखिल वार्षिक विवरणी तक ही सीमित कर दी है एवं सकल आवर्त के सही राशि पर पहुंचने के लिये वा.क.वि. में उपलब्ध अन्य प्रासंगिक अभिलेखों<sup>23</sup> की जाँच नहीं की है। इन अभिलेखों के तिर्यक जाँच के आधार पर लेखापरीक्षा ने अनुमानित किया कि इन 24 व्यवसायियों का सही सकल आवर्त ₹ 3,418.68 करोड़ था, फलस्वरूप क.नि.प्रा. द्वारा सकल आवर्त को ₹ 415.11 करोड़ से कम मूल्यांकन करते हुये ₹ 41.20 करोड़ के कर का अवनिर्धारण किया गया।

इसी प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा अन्य तीन वाणिज्यकर अंचलों<sup>24</sup> में अभिलेखों की जाँच से उद्घटित हुआ कि क.नि.प्रा. ने 2010-11 तथा 2012-13 की अवधि के लिये, तीन संवेदकों का करदेय आवर्त (क.आ.) ₹ 5.57 करोड़ के सही क.आ. के बजाय ₹ 2.57 करोड़ निर्धारित किया (मार्च 2014 और मई 2015 के मध्य), जिसके फलस्वरूप ₹ 3 करोड़ के क.आ. का कम निर्धारण हुआ, परिणामस्वरूप ₹ 51.44 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

वा.क.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017)।

**अनुशंसा:**

वा.क.वि. यह निर्देश जारी कर सकता है कि स.आ./ क.आ. निर्धारित करते समय क.नि.प्रा. केवल व्यवसायियों द्वारा दाखिल किये गये विवरणियों पर ही भरोसा नहीं करें, बल्कि उनके पास उपलब्ध/ प्रस्तुत सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और अभिलेखों का उपयोग करके विवरणियों का तिर्यक जाँच करें। वा.क.वि. इस संबंध में अभिलेखों के जाँच के मानदंड भी जारी कर सकता है।

### 2.2.15.3 छूट की गलत अनुमति

क.नि.प्रा. द्वारा छूट की गलत अनुमति की जाँच के लिये एक तंत्र विकसित करने की वा.क.वि. की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 15.43 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम यह निर्धारित करता है कि व्यवसायी द्वारा अनुमत वस्तुओं की मात्रा के रूप में या अन्यथा व्यापार छूट या प्रोत्साहन को कर योग्य बिक्री माना जाएगा। तदन्तर, कार्य संविदा के लिये कर योग्य आवर्त निर्धारित करने से पूर्व श्रम लागत की कटौती की जानी है।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में क.नि.प्रा. की विफलता के फलस्वरूप 123 व्यवसायियों को छूट की गलत

<sup>23</sup> जेवैट 409, प्रपत्र 504 बी, 504 पी में रोड परमिट, प्रतिष्ठान का वार्षिक प्रतिवेदन।

<sup>24</sup> चिरकुंडा, हजारीबाग और साहिबगंज।

अनुमति दी जाने के परिणामस्वरूप ₹ 86.94 करोड़ के कर का अल्पारोपण होने पर प्रकाश डाला गया था। तथापि, वा.क.वि., सुधारात्मक उपाय करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप इसी प्रकार के कमियाँ/ अनियमितता जारी रही, जैसा कि निम्नलिखित कंडिकाओं में वर्णित है।

सात वाणिज्यकर अंचलों<sup>25</sup> में 28,308 व्यवसायियों में 1,400 व्यवसायियों का कर निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि क.नि.प्रा. द्वारा 16 निबंधित व्यवसायियों को प्रोत्साहन, व्यापार छूट, मूल्य अंतर और सब्सिडी, छूट, सेवा शुल्क, हानि इत्यादि पर ₹ 35 करोड़ की कर से नियम विरुद्ध छूट अनुमत्त की गयी (जुलाई 2014 और मई 2016 के मध्य) जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिये ₹ 5.53 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा अवलोकन के उत्तर (सितंबर 2017) में, वा.क.वि. ने इन छूटों को उचित ठहराने का प्रयास किया, तथापि, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हैं।

नौ वाणिज्यकर अंचलों<sup>26</sup> में 31,552 व्यवसायियों में 1,800 व्यवसायियों का कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि क.नि.प्रा. ने 14 संवेदकों को 2012-13 से 2013-14 की अवधि के लिये, श्रम प्रभार के मद में छूट की नियमविरुद्ध, अधिक अनुमति दी (फरवरी 2015 और अप्रैल 2016 के मध्य) जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.75 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसी प्रकार, छः वाणिज्यकर अंचलों<sup>27</sup> में कर निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि क.नि.प्रा. ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान 34 निर्धारितियों को श्रम प्रभार के मद में ₹ 35.01 करोड़ की छूट की नियम विरुद्ध अनुमति दी (अक्टूबर 2013 और मार्च 2016 के मध्य) जबकि अनुमत्त छूट ₹ 5.27 करोड़ थी। इसके फलस्वरूप ₹ 29.74 करोड़ के छूट की अधिक अनुमति दी गयी और परिणामस्वरूप ₹ 4.15 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

वा.क.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017)।

#### अनुशंसा:

वा.क.वि. अधिनियमों के विपरीत वृहत पैमाने पर छूट की अनियमित स्वीकृति को रोकने के लिये तंत्र स्थापित कर सकती है।

<sup>25</sup> गिरिडीह, जमशेदपुर, पलामू, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

<sup>26</sup> आदित्यपुर, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

<sup>27</sup> देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, राँची विशेष और साहिबगंज।

### 2.2.15.4 कर के गलत दर का अनुप्रयोग

क.नि.प्रा. ने बस/ टिपर का ढाँचा, साबुन, पेंट, वाहन के पुर्जे, उत्खनक के पुर्जे, अतिरिक्त तटस्थ शराब, बिस्कुट इत्यादि की बिक्री पर कर के गलत दर का आरोपण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.71 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 और उसके अन्तर्गत संलग्न अनुसूची के तहत बस/ ट्रक का ढाँचा, साबुन, पेंट, उत्खनक के पुर्जे, बिस्कुट इत्यादि पर 14 प्रतिशत की दर से एवं वाहन के पुर्जे पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रावधान है। यह न्यायिक निर्णय<sup>28</sup> है कि बस/ टिपर ढाँचा मोटर वाहन का अभिन्न हिस्सा है।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में क.नि.प्रा. द्वारा कर के गलत दर का अनुप्रयोग करने के परिणामस्वरूप 119 व्यवसायियों पर ₹ 85.44 करोड़ के कर का अवनिर्धारण होने पर प्रकाश डाला गया था। इसके फलस्वरूप वा.क.वि. ने क.नि.प्रा. को की गयी कारवाई के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया था (अगस्त 2015)। तथापि, विभाग ने दरों के गलत अनुप्रयोग की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये विशिष्ट कार्रवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरूप अनियमिततायें जारी रही, जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है।

10 वाणिज्यकर अंचलों<sup>29</sup> में निर्बंधित 30,641 व्यवसायियों में से 2,000 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि क.नि.प्रा. ने कर के गलत दर का अनुप्रयोग के कारण, 2011-12 और 2013-14 के मध्य की अवधि के लिये 21 व्यवसायियों के मामले में, ₹ 26.17 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 15.10 करोड़ का कर आरोपित किया (जनवरी 2015 और मार्च 2016 के मध्य)। विवरण तालिका-2.10 में दिया गया है।

तालिका-2.10

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य	आरोप्य कर का दर आरोपित (प्रतिशत में)	कर का अल्पारोपण
1	आदित्यपुर तीन	टीपर/ बस ढाँचा	94.77	14 10	3.79
2	जमशेदपुर तीन	मोटर/ वाहन के पुर्जे	60.38	10 5	3.02
3	जमशेदपुर एक	उत्खनक के पुर्जे	3.53	14 10	0.14

<sup>28</sup> अन्नपूर्णा कार्बन उद्योग कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [1976] 37 एसटीसी 378 (एससी) और अंबाला कोच बिल्डर्स बनाम हरियाणा राज्य और अन्य [1977] 39 एसटीसी 44 पी.एच., के मामलों में शीर्ष न्यायालय का निर्णय।

<sup>29</sup> आदित्यपुर, चाईबासा, धनबाद, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, पलामू, राँची दक्षिणी और तेनुघाट.

तालिका-2.10

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य	आरोप्य कर का दर आरोपित (प्रतिशत में)	कर का अल्पापारोपण
4	आदित्यपुर, धनबाद नागरीय, जमशेदपुर, पलामू, राँची दक्षिणी और तेनुघाट नौ	कार्य संविदा	41.32	$\frac{14}{5}$	3.72
5	चाईबासा, गिरिडीह, जमशेदपुर तीन	बिस्कुट, विस्फोटक, पेंट	3.74	$\frac{14}{5}$	0.34
6	जमशेदपुर नागरीय एक	प्लैटिनम	0.08	$\frac{14}{1}$	0.01
7	धनबाद एक	बिस्कुट, साबुन, स्नेक्स इत्यादि	0.48	$\frac{14}{0}$	0.05
कुल			204.30		11.07

राजस्व का रिसाव अनुसूची-11 भाग-डी (14 प्रतिशत की दर से कर योग्य) के तहत आने वाले मालों का गलत वर्गीकरण भाग-बी (5 प्रतिशत की दर से कर योग्य) में होने के कारण हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.07 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा ने इसी प्रकार की अनियमिततायें अन्य चार वाणिज्यकर अंचलों<sup>30</sup> में पाया, जहाँ क.नि.प्रा. ने छह व्यवसायियों के मामले में, मोटर साइकिल या अतिरिक्त तटस्थ शराब की बिक्री पर, श्रम प्रभार के अस्वीकृत आवर्त, दरों के अनुसूची के अनुसार 14 और 20 प्रतिशत की दर से ₹ 6.40 करोड़ का कर आरोप्य करने के बजाय पाँच और 14 प्रतिशत की दर से ₹ 2.76 करोड़ का कर आरोपित किया (जनवरी 2015 और मार्च 2016 के मध्य)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.64 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ

वा.क.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017)।

#### अनुशंसा:

वा.क.वि. अधिनियम के अन्तर्गत संलग्न अनुसूची में वस्तुओं का सही वर्गीकरण कर सकती है।

<sup>30</sup> चिरकुंडा, दुमका, कोडरमा और राँची विशेष।

### 2.2.15.5 इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वीकृति में अनियमिततायें

क.नि.प्रा. ने व्यवसायियों को ₹ 4.51 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत दावा की अनुमति दी।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 एवं झा.मू.व.क. नियम 2006, क्रय करने वाले निबंधित व्यवसायी को राज्य में उनके द्वारा चुकाये गये कर पर, पूर्ववर्ती बिक्री व्यवसायी द्वारा जारी घोषणा प्रपत्र झा.मू.व.क-404<sup>31</sup> में दावा प्रस्तुत करने पर, आई.टी.सी की अनुमति देता है। राज्य के बाहर वस्तुओं के स्थानान्तरण के मामलों में आई.टी.सी. की आनुपातिक रूप से अनुमति दी जाती है। तथापि, अनिबंधित व्यवसायियों को की गयी अंतर्राज्यीय बिक्री, बिक्री के अन्यथा किसी अन्य तरीके से वस्तुओं का निष्पादन एवं करदेय बिक्री स.आ. के पाँच प्रतिशत से कम होने पर आई.टी.सी अनुमत्य नहीं होता है।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में क.नि.प्रा. की विफलता के कारण 66 व्यवसायियों के मामले में ₹ 41.62 करोड़ के कर का कम आरोपण होने पर प्रकाश डाला गया था। यद्यपि, राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया (अगस्त 2015) कि सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे, वा.क.वि. ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप इसी प्रकार की कमियाँ/ अनियमितता जारी रही, जैसा कि नीचे वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने 11 वाणिज्यकर अंचलों<sup>32</sup> में 35,895 पंजीकृत व्यवसायियों में 2,200 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच में देखा कि क.नि.प्रा. ने 26 व्यवसायियों को 2012-13 और 2014-15 के मध्य की अवधि के लिये ₹ 43.12 करोड़ की आई.टी.सी. समायोजित करने की अनुमति दी थी (सितंबर 2015 और जुलाई 2016 के मध्य)। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि क.नि.प्रा. ने नियम विरुद्ध अयोग्य श्रेणियों जैसे की अनिबंधित व्यवसायियों को बिक्री, अंतर/ अंतरा राज्य भण्डार अंतरण, जॉब वर्क, हानि एवं जहाँ कर योग्य बिक्री आवर्त के पाँच प्रतिशत से कम है, के लिये आईटीसी की अनुमति दी थी, परिणामस्वरूप ₹ 3.36 करोड़ की अधिक आई.टी.सी की अनुमति दी गयी।

तदन्तर, लेखापरीक्षा ने इसी प्रकार की अनियमिततायें अन्य चार वाणिज्यकर अंचलों<sup>33</sup> में पाया, जहाँ, क.नि.प्रा. ने आठ व्यवसायियों को 2012-13 और 2013-14 के मध्य की अवधि के लिये ₹ 9.32 करोड़ की आई.टी.सी. समायोजित करने की अनुमति दी थी

<sup>31</sup> आईटीसी का लाभ उठाने के लिये, राज्य के भीतर खरीद बिंदु पर कर के भुगतान, को साबित करने के लिये आवश्यक घोषणाओं का प्रपत्र।

<sup>32</sup> बोकारो, चाईबासा, धनबाद, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

<sup>33</sup> गोड्डा, हजारीबाग, कतरास और पाकुड़।

(मार्च 2015 और मार्च 2016 के मध्य)। यद्यपि ये व्यवसायी वास्तव में केवल ₹ 8.17 करोड़ की आई.टी.सी के हकदार थे। परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ की अधिक आई.टी.सी की अनुमति दी गयी।

वा.क.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017)।

**अनुशंसा:**

वा.क.वि. यह सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी कदम उठा सकती है कि क.नि.प्रा. आई.टी.सी के लिये पात्र और अपात्र श्रेणियों के बारे में शिक्षित हैं।

### 2.2.15.6 कर के गणना में त्रुटि

क.नि.प्रा. ने, अंकगणितीय त्रुटियों के कारण ₹ 130.74 करोड़ के बजाय ₹ 128.49 करोड़ का कर लगाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

वर्ष 2011-12 से 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, कर के गणना में त्रुटि के कारण, 16 व्यवसायियों पर ₹ 3.92 करोड़ के कर का अल्पारोपण होने पर प्रकाश डाला गया था। इसके परिणामस्वरूप, वा.क.वि. ने सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया (अगस्त 2015)। तथापि, वा.क.वि. ने सुधारात्मक उपाय नहीं किये, जिसके परिणामस्वरूप इसी प्रकार की कमियाँ/ अनियमितता जारी रही, जैसा की नीचे वर्णित है।

पाँच वाणिज्यकर अंचलों<sup>34</sup> में 17,081 व्यवसायियों में 1,000 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच से यह उद्घटित हुआ कि क.नि.प्रा. ने, कर के गणना में त्रुटि के कारण, छः व्यवसायियों के मामले में, 2011-12 और 2012-13 की अवधि के मध्य, ₹ 129.86 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 128.49 करोड़ का कर आरोपित किया (मई 2014 तथा मार्च 2016 के मध्य)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.37 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

तदन्तर, लेखापरीक्षा ने, सदृश अनियमिततायें, वाणिज्यकर अंचल, राँची विशेष में पायीं, जहाँ, क.नि.प्रा. ने 2012-13 की अवधि के लिये, ₹ 43.90 करोड़ के अंतर्राज्य बिक्री पर दो प्रतिशत की दर से ₹ 87.80 लाख के आरोप्य कर का आरोपण (फरवरी 2016) नहीं किया।

वा.क.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (सितंबर 2017) तथा क.नि.प्रा. को उन मामलों में वसूली शुरू करने का निर्देश दिया जहाँ मांग पत्र जारी किया जा चुका है।

<sup>34</sup> धनबाद नागरीय, गिरिडीह, जमशेदपुर नागरीय, राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

अनुशंसा:

वा.क.वि. कर निर्धारण संपन्न करते समय कर गणना की अंकगणितीय शुद्धता की जांच के लिये एक तंत्र विकसित कर सकती है।

### 2.2.15.7 अस्वीकृत छूट एवं रियायतों पर ब्याज का अनारोपण

विभाग, अधिनियम के अनुसार, छूट/ रियायती आवर्त की अस्वीकृति के कारण निर्धारित कर पर ब्याज लगाने के लिये एक प्रक्रिया प्रस्तावित करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप, 19 अंचलों के क.नि.प्रा. ने 62 व्यवसायियों पर ₹ 142 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005, आवश्यक साक्ष्य से समर्थित नहीं होने के कारण, क.नि.प्रा. द्वारा अस्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट, छूटों, कटौतियां तथा कोई अन्य छूट/ रियायतों पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज आरोपित करने का प्रावधान करता है।

वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, 130 व्यवसायियों के अस्वीकृत छूट/ रियायतों पर ₹ 258.16 करोड़ के ब्याज के अनारोपण पर प्रकाश डाला गया था। लेखापरीक्षा ने सुधारात्मक कार्रवाई करने के विभाग के आश्वासन (अगस्त 2015) के पश्चात में, 12 वाणिज्यकर अंचलों<sup>35</sup> में 36,067 पंजीकृत व्यवसायियों में 2,400 व्यवसायियों के निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया कि यद्यपि क.नि.प्रा. ने 50 व्यवसायियों के 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिये, छूटो, रियायतों एवं आई.टी.सी. के समायोजन के ₹ 1,369.08 करोड़ के दावों को अस्वीकृत कर दिया (मार्च 2015 और अक्टूबर 2016 के मध्य), क.नि.प्रा. उन अस्वीकृत दावों पर ₹ 111.17 करोड़ के दंडात्मक ब्याज आरोपित करने में विफल रहें। यह देखा गया कि कर निर्धारण के दौरान अस्वीकृत छूटो, रियायतों एवं आई.टी.सी. के गलत समायोजन पर ब्याज का आरोपण सभी वाणिज्यकर अंचलों में समान रूप से नहीं किया जा रहा है।

सात वाणिज्यकर अंचलों<sup>36</sup> में अभिलेखों के सदृश नमूना जाँच से यह उद्घटित हुआ कि यद्यपि क.नि.प्रा. ने 12 व्यवसायियों के 2012-13 और 2013-14 की अवधि के लिये, आवर्त से छूट के ₹ 5,911.78 करोड़ के दावों को अस्वीकृत कर दिया (जनवरी 2015 और जनवरी 2017 के मध्य), क.नि.प्रा. उन अस्वीकृत दावों पर ₹ 30.83 करोड़ के दंडात्मक ब्याज आरोपित करने में विफल रहें।

<sup>35</sup> आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, धनबाद, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी, सिंहभूम और तेनुघाट।

<sup>36</sup> चिरकुंडा, देवघर, हजारीबाग, झरिया, कतरास, कोडरमा और राँची विशेष।

वा.क.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (सितंबर 2017) तथा उचित कारवाई करने का आश्वासन दिया।

**अनुशंसा:**

वा.क.वि. अस्वीकृत छूटों/ रियायतों एवं आई.टी.सी. के गलत समायोजन पर ब्याज आरोपित करने का अनुदेश जारी कर सकती है।

## 2.2.16 अन्वेषण ब्यूरो के कार्य

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005, एक अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.) को वा.क.आ. के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करने का प्रावधान करता है। वा.क.आ. के आदेशों (अगस्त 2009) के आलोक में, प्रत्येक प्रमंडल के अ.ब्यू. आवश्यक है:

- अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण करने वाले व्यवसायियों के व्यवसाय के अतिरिक्त स्थानों और निबंधन प्रमाण पत्र में उनकी प्रविष्टियों की जाँच करना, बड़े निर्माताओं द्वारा राज्य/ केन्द्रीय उपक्रमों, रेलवे गोदामों, ट्रांसपोर्टर और वाणिज्यिक बैंकों से की गयी खरीद/ आयात के आँकड़े एकत्र करना।
- बड़े निर्माताओं/ उपक्रमों/ व्यवसायियों के संबंध में खरीद/ प्राप्ति के आँकड़े प्राप्त करना और विवरणियों के साथ उनकी तिर्यक जाँच कर, कर का अपवंचन/ परिहार की जाँच करना।
- मासिक आधार पर किये जाने वाले सभी निरीक्षणों के लिये वा.क.आ. को कार्य योजनाएं जमा करना।

पाँच प्रमंडलीय अ.ब्यू.<sup>37</sup> द्वारा प्रस्तुत, 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिये अ.ब्यू. द्वारा किये गये कार्य तालिका-2.11 में वर्णित हैं।

तालिका-2.11

प्रमंडल का नाम	अवधि	व्यवसायियों की संख्या जिनके बारे में आँकड़े / जानकारी एकत्र की गयी	व्यवसायियों की संख्या जिनके आँकड़े/ सूचना को तिर्यक जाँच किया गया था	अतिरिक्त राजस्व सृजित (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ
धनबाद	2012-13 से 2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	
हजारीबाग	2012-13 से 2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	
जमशेदपुर	2012-13	30	05	33.25	अ.ब्यू. द्वारा एकत्र किये गए आँकड़ों का तिर्यक जाँच नहीं
	2013-14	27	02	1.32	
	2014-15	68	43	0.21	
	2015-16	18	07	14.00	
	2016-17	25	07	6.53	

<sup>37</sup> धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, राँची और संथाल परगना।

तालिका-2.11

प्रमंडल का नाम	अवधि	व्यवसायियों की संख्या जिनके बारे में आँकड़े / जानकारी एकत्र की गयी	व्यवसायियों की संख्या जिनके आँकड़े/ सूचना को तिर्यक जाँच किया गया था	अतिरिक्त राजस्व सृजित (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ
राँची	2012-13	83	83	19.98	किया गया क्योंकि ये व्यवसायी इन प्रमंडलों में निबंधित नहीं हैं।
	2013-14	306	132	149.28	
	2014-15	434	434	87.08	
	2015-16	82	82	97.08	
	2016-17	113	37	42.66	
संथाल परगना	2012-13 से 2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल		1,186	832	451.39	

लेखापरीक्षा ने पाया कि धनबाद, हजारीबाग तथा संथाल परगना अ.ब्यू. में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को चेक पोस्टों पर नियुक्त कर दिया गया, परिणामस्वरूप इन तीन प्रमंडलीय अ.ब्यू. में कोई कार्य नहीं हुआ। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि किसी भी प्रमंडलीय अ.ब्यू. ने वा.क.आ. को न तो निरीक्षण के लिये आवश्यक कार्य योजनाएं जमा की हैं; न ही उन्होंने निरीक्षण किया; तथा वाणिज्यकर आयुक्त (वा.क.आ.) ने भी इसके लिये जोर नहीं दिया या इस संबंध में अनुदेश जारी नहीं किये।

#### अनुशंसा:

1. वा.क.वि. यह सुनिश्चित कर सकती है कि प्रमंडलीय अ.ब्यू. पूरी तरह से कार्यबलयुक्त हो ताकि ये अ.ब्यू. अपने कार्यादेश के अनुसार प्रदर्शन कर सकें।
2. वा.क.वि., सं.वा.आ. को यह सुनिश्चित करने के लिये निर्देश दे सकता है कि प्रमंडलीय अ.ब्यू. नियमित निरीक्षण करे एवं इस उद्देश्य के लिये, कार्य योजनाएं जमा करें।

### 2.2.17 तिर्यक जाँच के परिणाम

व्यवसायी के विवरणी को अन्य डाटाबेस के साथ तिर्यक जाँच करने में अ.ब्यू. की विफलता

वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, अ.ब्यू. द्वारा आँकड़ों का संग्रहण कर उनका तिर्यक जाँच अंचल में संधारित कर निर्धारण अभिलेखों से करने के कार्य का कार्यान्वयन नहीं किये जाने, के परिणामस्वरूप 345 व्यवसायियों के वास्तविक आवर्त का पता नहीं लग पाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,489.98 करोड़ के कर का अल्पारोपण पर प्रकाश डाला गया था। उचित कार्रवाई करने के लिये सरकार/ विभाग के आश्वासन (अगस्त 2016) के आलोक में, तथा अ.ब्यू. की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिये, लेखापरीक्षा ने विभिन्न केन्द्रीय/ राज्य सरकार के विभागों से आँकड़ा संग्रहण किया और

वा.क.वि. में 234 व्यवसायियों के अभिलेख/ विवरणी के साथ तिर्यक जाँच किया तथा ₹ 474.37 करोड़ के राजस्व का रिसाव पाया, जैसा की अनुवर्ती कंडिकार्यों में चर्चा की गयी है:

(i) 11 वाणिज्यकर अंचलों<sup>38</sup> के अभिलेखों का तिर्यक जाँच केन्द्र सरकार के विभागों<sup>39</sup> से प्राप्त आँकड़ा/ सूचना से करने पर यह उद्घटित हुआ कि 44 व्यवसायियों ने 2010-11 और 2014-15 के मध्य की अवधि (जुलाई 2012 और मार्च 2017 के मध्य कर निर्धारित) के दौरान अपना आवर्त ₹ 1,075.31 करोड़ दर्शाया था, जबकि उनका वास्तविक आवर्त, जैसा कि संबंधित आकड़ों से देखा गया, ₹ 1,681.05 करोड़ था, परिणामस्वरूप ₹ 605.74 करोड़ के आवर्त का छिपाव और ₹ 122.23 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का अवनिर्धारण हुआ।

(ii) नौ वाणिज्यकर अंचलों<sup>40</sup> के अभिलेखों का तिर्यक जाँच केन्द्र तथा राज्य<sup>41</sup> सरकार के विभागों से प्राप्त आँकड़ा/ सूचना से करने पर यह उद्घटित हुआ कि यद्यपि 19 व्यवसायियों ने 2014-15 और 2015-16 के दौरान अपना क्रय/ विक्रय ₹ 495.89 करोड़ दर्शाया था, उनका वास्तविक आवर्त, जैसा कि संबंधित आँकड़ों से देखा गया, ₹ 2,163.21 करोड़ था, परिणामस्वरूप ₹ 1,667.32 करोड़ के आवर्त का छिपाव और ₹ 343.95 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का अवनिर्धारण हुआ।

(iii) बोकारो वाणिज्यकर अंचल में निबंधित दो संवेदकों के 2011-12 एवं 2013-14 (मार्च 2015 और मार्च 2017 के मध्य कर निर्धारित) के अभिलेखों का तिर्यक जाँच, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर, बोकारो के समक्ष दाखिल उनके सेवा कर विवरणी (एस.टी.-3 प्रपत्र) से किये जाने से यह उद्घटित हुआ कि यद्यपि क.नि.प्रा. ने श्रम एवं सेवा के मद में ₹ 39.35 करोड़ के छूट की अनुमति दी, इन व्यवसायियों ने श्रम एवं सेवा के मद में, अपने एस.टी.-3 प्रपत्र में केवल ₹ 10.27 करोड़ ही घोषित किया, फलस्वरूप क.नि.प्रा. द्वारा ₹ 29.08 करोड़ के छूट की अधिक अनुमति दी गयी, परिणामस्वरूप ₹ 4.07 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(iv) तीन वाणिज्यकर अंचलों<sup>42</sup> के अभिलेखों का तिर्यक जाँच तीन कार्य प्रमंडलों<sup>43</sup> एवं जिला खनन कार्यालय (जि.ख.का.), हजारीबाग से प्राप्त, संवेदकों का भुगतान एवं स्टोन

<sup>38</sup> आदित्यपुर, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

<sup>39</sup> प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क निदेशालय, नई दिल्ली, महानिदेशक, माल एवं सेवा कर निगरानी, जमशेदपुर एवं केंद्रीय उत्पाद आयुक्त, बोकारो का कार्यालय।

<sup>40</sup> आदित्यपुर, बोकारो, जमशेदपुर, कोडरमा, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

<sup>41</sup> महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार।

<sup>42</sup> हजारीबाग, पाकुड़ एवं साहिबगंज।

<sup>43</sup> पथ निर्माण प्रमंडल, साहिबगंज, ग्रामीण विकास विभाग, कार्य प्रमंडल, पाकुड़ एवं ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पाकुड़।

चिप्स के प्रेषण से सम्बंधित आँकड़ा/ सूचना से करने पर यह उद्घटित हुआ कि यद्यपि चार खनन पट्टेधारी एवं 18 कार्य संवेदकों ने 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान, अपने विवरणियों में (जुलाई 2013 और जून 2016 के मध्य कर निर्धारित), आवर्त ₹ 1.07 करोड़ दर्शाया था, उनका वास्तविक आवर्त, जैसा कि तीन कार्य प्रमंडलों एवं जि.ख.का. द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों से देखा गया, ₹ 10.88 करोड़ था, परिणामस्वरूप ₹ 9.81 करोड़ के आवर्त का छिपाव और ₹ 4.12 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का अवनिर्धारण हुआ।

तदन्तर, लेखापरीक्षा ने झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों की समीक्षा की और पाया कि इसमें अ.ब्यू. या प्रवर्तन स्कन्ध के लिये कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था जैसा कि निरस्त झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 की धारा 69 में प्रदान किया गया था। झा.मा. एवं से.क. अधिनियम की धारा 67, उचित अधिकारी द्वारा निरीक्षण, खोज और जब्ती की शक्ति से संबंधित है, जो निरस्त अधिनियम की धारा 70 और 72 के अनुरूप है (लेकिन धारा 69 के नहीं)।

वा.क.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (सितंबर 2017)।

#### अनुशंसा:

1. वा.क.वि. झारखण्ड माल एवं सेवा कर (झा.मा. एवं से.क.) अधिनियम में प्रस्तावित उपयुक्त संशोधनों के लिये अन्वेषण ब्यूरो या प्रवर्तन स्कन्ध का गठन करने पर विचार कर सकती है
2. वा.क.वि. (झा.मा. एवं से.क.) विभाग केन्द्र/ राज्य सरकार/ लोक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि के विभिन्न विभागों से आँकड़ों का संग्रहण कर इनका तिर्यक जाँच व्यवसायियों के आवर्त के साथ करने के लिये तंत्र भी विकसित कर सकती है।

#### 2.2.18 लेखापरीक्षा अवलोकनों पर विभाग की प्रतिक्रिया

झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 यह निर्धारित करता है कि जब अधिनियम के तहत किये गये कर निर्धारण या पुर्न-करनिर्धारण या दाखिल की गयी किसी विवरणी की जाँच के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा, या तो तथ्य से या कानून से संबंधित, कोई आपत्ति या अवलोकन की जाती है, तब विहित प्राधिकारी उस व्यवसायी का पुर्न-करनिर्धारण करने की कार्रवाई करेगा, जिसके करनिर्धारण या पुर्न-करनिर्धारण या विवरणी जांच, जैसा भी मामला हो, पर आपत्ति या अवलोकन किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण अवनिर्धारण प्रकाश में लाये थे, एवं विभाग ने उन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। तथापि, यह देखा गया कि वा.क.वि. द्वारा की गयी कार्रवाई अपर्याप्त थी, जो कि इस तथ्य से साबित होता है कि ₹ 3,116.91 करोड़ वसूली करने के लिये बाकी हैं, तथा इसके बहुत कम साक्ष्य है कि क.नि.प्रा. ने

संबंधित व्यवसायियों का पुन-करनिर्धारण किया है। वा.क.वि. ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित राजस्व के रिसावों को रोकने के लिये भी कोई तंत्र संस्थापित नहीं किया है।

**अनुशंसा:**

1. राज्य सरकार, उन व्यवसायियों के, जिनके कर का अवनिर्धारण लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया है, विवरणियों का पुनः मूल्यांकन की निगरानी करने के लिये उपाय शुरू कर सकती है तथा उन विभागीय अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर सकती है जो ऐसे पुनर्मूल्यांकनों को पूरा करने में विफल रहे।
2. वा.क.वि. लेखापरीक्षा द्वारा इंगित राजस्व के रिसावों को रोकने के लिये तंत्र स्थापित शुरू कर सकता है।

## 2.2.19 माल एवं सेवा कर (मा.एवं से.क.) के लिये तैयारी

झारखण्ड माल एवं सेवा कर, अधिनियम, 2017, 19 जून 2017 को अधिसूचित हुआ तथा 01 जुलाई 2017 से कार्यान्वित हुआ।

### 2.2.19.1 मा. एवं से.क. के कार्यान्वयन के लिये विभाग द्वारा की गयी पहल

वा.क.वि. ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (दिसम्बर 2017) कि मा. एवं से.क. के कार्यान्वयन के लिये निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- (i) मा. एवं से.क. अधिनियम एवं मा. एवं से.क. पोर्टल पर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-2.12

श्रेणियां	कार्यरत बल	मास्टर्स प्रशिक्षक (चेन्नई में प्रशिक्षित)	प्रशिक्षणार्थी	
			नामांकित	प्रशिक्षित
अधिकारी	223	25	195	195
कर्मचारी	435	0	181	181
<b>कुल</b>	<b>658</b>	<b>25</b>	<b>376</b>	<b>376</b>

181 कर सहायकों को मा. एवं से.क. का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। शेष 254 कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी/ संविदा पर कार्यरत/ बाह्य स्रोत पर कार्य कर रहे हैं, को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

- (ii) मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टी.सी.एस.), मा. एवं से.क. काल में ₹ 1.62 करोड़ की लागत से सॉफ्टवेयर सिस्टम के विकास के लिये आईटी कार्यान्वयन भागीदार है।
- (iii) मेसर्स प्राइसवाटरहाउस कूपर्स ₹ 78.30 लाख की लागत से मा. एवं से.क. काल में परिवर्तन की सुविधा के लिए लगाये गये हैं।

- (iv) जीएसटीएन के साथ डाटा केन्द्र की संयोजकता पूरी हो चुकी है। मा. एवं से.क. तंत्र तक पहुँच बनाने के लिये 220 कर अधिकारियों को नामित किया गया है। कर अधिकारियों के लिये पैन आधारित डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डि.ह.प्र.) की खरीद की गयी है।
- (v) मा. एवं से.क. के सुगम कार्यान्वयन के लिये मा. एवं से.क. सलाहकार समिति का गठन प्रमंडलीय कार्यालय एवं राज्य स्तर पर किया गया है जिसमें वाणिज्यकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर विभागों के अधिकारी, वाणिज्य प्रमंडलों, कर पेशेवरों और अन्य हितधारकों समेत व्यापार संघ शामिल हैं।

### 2.2.19.2 मा. एवं से.क. काल के तहत व्यवसायियों का प्रवर्जन

मा. एवं से.क. काल (राज्य क्षेत्राधिकार) के तहत व्यवसायियों के प्रवर्जन का विवरण तालिका-2.13 में दिया गया है।

तालिका-2.13

प्रवर्जन का विवरण	व्यवसायियों की संख्या
जीएसटीएन द्वारा राज्य क्षेत्राधिकार को जारी कुल अस्थायी आईडी	1,00,615
राज्य द्वारा प्रवर्जन की गयी कुल अस्थायी आईडी	71,910
जीएसटीएन द्वारा रद्द किये गये अस्थायी आईडी	10,613
झा.मू.व.क. में मौजूदा पैन के साथ नये पंजीकरण के लिये आवेदन	1,881
एक पैन एकाधिक टीन के मामले जहां व्यवसायी पहले से ही उसी पैन के साथ कम से कम एक पंजीकरण ले चुका है	1,144
2016-17 में सकल आवर्त ₹ 20 लाख से कम	1,906
प्रवर्जित नहीं हुए वास्तविक व्यवसायी	13,161

उपरोक्त 13,161 व्यवसायियों के प्रवर्जन नहीं होने के विस्तृत विश्लेषण से पता चला कि राज्य क्षेत्राधिकार के तहत 12,503 व्यवसायियों का सकल आवर्त, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये विवरणी दाखिल नहीं होने के कारण निर्धारित नहीं किया जा सका।

### 2.2.19.3 मा. एवं से.क. के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के दावे की गलत गणना

राजस्व विभाग (रा.वि.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने संबंधित राज्य महालेखाकार को (अक्टूबर 2016) मा. एवं से.क. (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के धारा 5 के अनुसार, बहिष्करणों को ध्यान में रखते हुये, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये राजस्व के लेखापरीक्षित आँकड़े सम्मिलित किया जा रहा है को भेजने के लिये अनुरोध किया था।

तदनुसार, लेखापरीक्षा ने वा.क.वि. से 2015-16 की अवधि के लिये ₹ 2,617.34 करोड़ के गैर-मा. एवं से.क. वस्तुओं (पेट्रोल, डीजल, ए.टी.एफ. और मानव सेवन के लिये शराब) के राजस्व के आँकड़े प्राप्त किये, जिन्हें आधार वर्ष के राजस्व की गणना के लिये बाहर रखा जाना था। तदन्तर, संबंधित व्यवसायियों के ई-रजिस्टर VIII के सत्यापन से पाया गया कि इन गैर-मा. एवं से.क. वस्तुओं से वास्तविक राजस्व संग्रहण ₹ 2,618.43 करोड़ था। परिणामस्वरूप विभाग द्वारा ₹ 1.09 करोड़ का अतिरिक्त दावा हुआ।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (जून 2017)। रा.वि. ने भी आधार वर्ष राजस्व के लेखापरीक्षित आँकड़े की पुष्टि की (अगस्त 2017)।

## 2.3 अन्य लेखापरीक्षा अवलोकन

### 2.3.1 केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) के तहत अवनिर्धारण

अभिलेखों की नमूना जांच से प्रपत्र 'सी' में घोषणाओं के अन्तर्गत कर की राशि और कर योग्य आवर्त को अलग करने में विफलता का पता चला, फलस्वरूप कर के रियायती दर की अधिक अनुमति प्रदान की गयी जिसके परिणामस्वरूप कर का अवनिर्धारण हुआ।

के.बि.क. अधिनियम 1956 और के.बि.क. नियम 1957 प्रावधान करते हैं कि प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी किसी पंजीकृत व्यवसायी को माल की अंतर-राज्य बिक्री के दौरान दो प्रतिशत की रियायती दर पर कर चुकाने के लिये उत्तरदायी होगा। ऐसी बिक्री क्रेता व्यवसायी द्वारा जारी प्रपत्र 'सी' में घोषणा द्वारा समर्थित होगी। जहां बिक्री प्रपत्र 'सी' में घोषणा द्वारा समर्थित नहीं है, ऐसे वस्तुओं की बिक्री पर कर विक्रेता के राज्य में लागू दर पर कर आरोप्य है।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, 18 व्यवसायियों का कर निर्धारण संपन्न करते समय उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में क.नि.प्रा. की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 48.64 करोड़ के कर का अल्पारोपण होने पर प्रकाश डाला गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2015) और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आश्वासन के आलोक में, लेखापरीक्षा ने कतरास वाणिज्यकर अंचल में कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (फरवरी 2017)। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2013-14 की अवधि के लिये एक व्यवसायी की विवरणी की जाँच (दिसंबर 2016) के दौरान, क.नि.प्रा. ने प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत करने पर ₹ 974.03 करोड़ के बजाय ₹ 985.65 करोड़ (₹ 11.62 करोड़ का कर शामिल) पर कर के रियायती दर का आरोपण किया। तथापि, कर की रियायती दर, कर की राशि को छोड़कर बिक्री के मूल्य पर लगायी जानी

थी। इस प्रकार, ₹ 11.62 करोड़ के आवर्त पर रियायती दर की अनुमति अनियमित थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 34.85 लाख के के.बि.क. का अवनिर्धारण हुआ।

वा.क.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017)।

